

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 17/08/2022

विषय— श्रीमती बबीता झा द्वारा बाँका जिलान्तर्गत खरहारा मौजा के खाता संख्या-227/149, खेसरा संख्या 42/53, तालुका-बाराहाट में भागलपुर-दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0108 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC/19/2021-748 दिनांक 11.08.2022
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/120971/2021/456, दिनांक 03.08.2022 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1 से 6 एवं भाग-B में 1 से 9 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ—

भाग-A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका Bank's Transaction No. 6077020220811639215 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.0108 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 10,344/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका Bank's Transaction No. 6077020220811639215 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi के खाता में दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

47

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगी।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 11.08.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका Bank's Transaction No. 6077020220811639215 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 8 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

Babita Sharma

बबीता झा,

पति श्री भवतोष झा,

ए-205, भी.आई.पी., एन्क्लेव-1,

भी.आई.पी. पथ, बीग बाजार के सामने,

रघुनाथपुर, जिला उत्तर परगन्ना,

पश्चिम बंगाल-700059

6077020220
811639215

Challan

46

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 11-08-2022

Client Code.	CAM5062
Location.	BIHAR
Remitter Name.	SMT. BABITA JHA
PIF/Application No.	70120971831
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/120971/2021
Address.	W/o SH. Bhavatosh Jha, A-205, VIP Enclave-1, VIP Road, Opp-Big Bazar, RaghunathpurNorth 24 Parganas
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	bhavatoshjha1706@gmail.com 9006004031 9006-004031
Amount(In Rs)	781734/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words :Seven Lakh Eighty-One Thousand Seven Hundred and Thirty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number Branch Stamp

• Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
• Challan should only be accepted against INST/DD.
• Enter the Remitter Name in Additional Information 1
• Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

send a line of confirmation through Email: helpdes
lan, if the payment status has not been updated eve
on date to

Print

3811639215



45

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका

आजाद चौक, बाबू टोला, बांका-813102

E-mail-dfo.banka@gmail.com



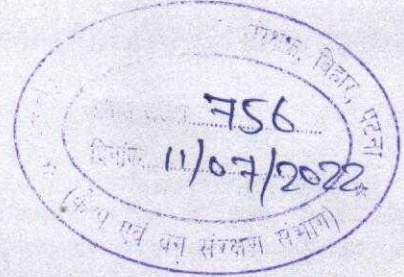
पत्रांक- 1041

प्रेषक,

अभिषेक कुमार सिंह, (माओवोसेओ)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



बांका, दिनांक- 09/07/2022

विषय :-

बांका जिलान्तर्गत श्रीमती बबीता झा द्वारा खरहरा मौजा के खाता संख्या-227/149, खेसरा संख्या-42/53, तालुका-बाराहाट में भागलपुर-दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.0108 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रमाण-पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :-

जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका का पत्रांक-960/क० दिनांक-05-07-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, विषय से संबंधित FRA-2006 प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उक्त FRA-2006 प्रमाण-पत्र की 01 (एक) प्रति E-mail के माध्यम से भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, FRA-2006 प्रमाण-पत्र स्वीकार करने की कृपा की जाय।
सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

ज्ञापांक- 1041

दिनांक- 09/07/2022

प्रतिलिपि-अनुलग्न सहित अतिरिक्त प्रति के साथ वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

नीरज
09/07/22



44

समाहरणालय बांका
(कल्याण शाखा)

पत्रांक- 960 / क0

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
बांका।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

बांका, दिनांक 05/07/2022.

विषय :-

बांका जिलान्तर्गत श्रीमती बबीता झा द्वारा खरहारा मौजा के खाता संख्या-227/149, खेसरा संख्या-42/53 तालुका-बाराहाट में भागलपुर-दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.0108 हे० वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रमाण-पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्रांक-463, दिनांक-18.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में बांका जिलान्तर्गत श्रीमती बबीता झा द्वारा खरहारा मौजा के खाता संख्या-227/149, खेसरा संख्या-42/53 तालुका-बाराहाट में भागलपुर-दुमका पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.0108 हे० वनभूमि के रैखिक विकास परियोजना हेतु प्रमाण-पत्र का मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]

जिला कल्याण पदाधिकारी
बांका।

(43)

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, बांका के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA
2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक—

28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत

संख्या... 960 ... दिनांक 05/07/22

प्रमाणित किया जाता है कि बाँका जिले में प्रयोक्ता एजेंसी श्रीमती बबीता झा द्वारा IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु रैखिक परियोजना निर्माण स्थान खरहारा मौजा, तालुका—बाराहाट, भागलपुर—दुमका पथ के कुल—20.4 मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.0108 हेक्टेयर रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका के पत्रांक—463, दिनांक—18.03.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक—13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान— बाँका
 तिथि—

23.6.22
 जिला पदाधिकारी, बांका का
 हस्ताक्षर एवं मोहर
 बांका

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as “forest” less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place :

Dated :

23.6.22
 District Magistrate
 जिला पदाधिकारी
 and Office Seal